कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–29/2018–101 दिनांक : 27/01/2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वन
वृक्ष विज्ञानी, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत 34.30 मैट्रिक टन सीसल रेशा का उत्पादन हेतु **रू0 30.227 (तीस लाख बाईस हजार सात सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–43/2018–48/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.01.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–43/2018–100/आ0 व0प0 दिनांक 22.01.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–09 लघु वन पदार्थों का उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 30.227 (तीस लाख बाईस हजार सात सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789090103	27.439
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789090323	2.788
कुल :–		30.227

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन संरक्षक होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\MFP\SCSP\Sisal Resha.doc

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789090103 एवं 19S240601789090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण उनके कार्यालय में किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–29/2018–**101 दिनांक– 27/01/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–29/2018–**101 दिनांक– 27/01/2019

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक—1

वित्तीय वर्ष 2018—19 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत 34.30 मेट्रिक टन सीसल रेशा का उत्पादन का उप—आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (मेटिक टन में)	राशि लाख में		
			मजदूरी	आपूति एवं सामग्री	कुल
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	34.30	27.439	2.788	30.227
योग :—		**34.30**	**27.439**	**2.788**	**30.227**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2

योजना का नामः– लघु वन पदार्थो का उन्नयन योजना

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 34.30 मे0 टन सीसल रेशा उत्पादन का कार्य दर

मजदूरी दर रू0– 237.38/– प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	आपूर्ति एवं सामग्री (रू0 में)	कुल (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	1000 कि0 ग्राम शुष्क रेशा हेतु 33300 कि0 हरी पतियों का संग्रहण	143	1164325.16	0.00	1164325.16
2	33300 कि0 ग्राम हरे पत्तों को साईट प्लान्ट तक परिवहन व्यय	24	195411.22	0.00	195411.22
3	33300 कि0 ग्राम हरे पतियों का डीकोटेशन करने का कार्य	76	618802.18	0.00	618802.18
4	33300 कि0 ग्राम हरे पतियों से प्राप्त रेशा धुलाई सुखाने का कार्य	47	382680.30	0.00	382680.30
5	शुष्क सीसल रेशा का वजन करना बण्डल बनाना तथा भण्डारण कार्य	47	382680.30	0.00	382680.30
6	डीजल 40 दिन x 16 x 4.5 ली0 प्रति घंटा = 2880 लीटर औसत @ 76/- = Rs. 2,18,880.00	-	0.00	218880.00	218880.00
7	डीजल, मोबिल, ग्रीस एवं जेनरेटर मरम्मति इत्यादि पर व्यय	-	-	60000.00	60000.00
	योगः–	**337**	**2743899.16**	**278880.00**	**3022779.16**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\MFP\SCSP\Sisal Resha 25-01-2019

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-29/2018/101 दिनांक - 27-Jan-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	86204	DRNFWL032 KAMLESH PANDEY CF & STATE SILVICULTURIST JHA	2,743,900.00 रुपये सत्ताइस लाख तीरयालीस हजार नौ सौ
2	S 19 240601789090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Centeral Scheme : NA	86206	DRNFWL032 KAMLESH PANDEY CF & STATE SILVICULTURIST JHA	278,800.00 रुपये दो लाख अठहत्तर हजार आठ सौ

योग: 3,022,700.00

क्रमिक योग: रुपये तीस लाख बाइस हजार सात सौ

(SHRI SATNAM SINGH BADHARIA IFS)
PCCF.DEV. (JHARKHAND)RANCHI

Run Date: 27/1/2019